"थर्ड जेंडर की सामाजिक स्थिति"

विशेष संदर्भ : वर्धा शहर का इतवारा क्षेत्र

Third gender, social status

(Special reference: Wardha city Itwara area)

अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग विषय में एमफिल. उपाधि के लिए प्रस्तुत

लघु शोध प्रबंध

सत्र- 2014-15

शोधार्थी

शितल त्रिकुल

पंजीकरण क्र. 2014/03/210/011

ज्ञान शांति मैत्री

विकास एवं शांति अध्ययन विभाग

(संस्कृति विद्यापीठ)

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित)

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442005 (महाराष्ट्र) भारत

अनुक्रमणिका

पृ. क्रमांक

भूमिका **4-13**

सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा

प्रथम अध्याय :- थर्ड जेंडर एक परिचय **14-28**

1.1 प्रकृति की अप्राकृतता का मानवीय दंश

1.2 थर्ड जेंडर शब्द का प्रयोग

1.3 रित और हिजड़ा पहचान

1.4 गुरू-शिष्य परम्परा और घराना

द्वितीय अध्याय :- कार्य क्षेत्र का परिचय **29-33**

2.1 वर्धा अध्ययन क्षेत्र का परिचय

2.2 इटवारा के कार्य क्षेत्र का परिचय

तृतीय अध्याय :- थर्ड जेंडर के उत्थान के लिए जेंडर गैर सरकारी संगठन की भूमिका **34-48**

3.1 अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन

3.2 वैधानिक बहस और मानवीय गरिमा के आधारभूत सिद्धान्त के अंतर्द्वद्व

3.3 प्रशिक्षण, शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी

चतुर्थ अध्याय :-थर्ड जेंडर की सामाजिक स्थिति **49-87**

4.1 थर्ड जेंडर का सामाजिक स्थान

4.2 हिजड़ा समुदाय की सुरक्षा

4.3 किन्नर स्वतंत्र पहचान को मिला वैधानिक आधार

4.4 विश्लेषण

परिशिष्ट **88-89**

साक्षात्कार अनुसूची

संदर्भ ग्रंथ **90-91**

भूमिका-

औरताना औरत और मर्दाना मर्द, समाज हमे इन डिब्बों में बांधने की चाहे जितनी कोशिश करे हम जेंडर से जुड़े बहुत से नियमों को तोड़ते है।हम औरते है तो शायद हम भी ठहाका मार कर हँसती है, हम भी घर से बाहर जा कर काम करते है। लेकिन आज इस अध्याय के केन्द्र में वे है जो कुछ नियमों को ही नही जेंडर से जुड़े सभी नियमों को तोड़ते है। समाज द्वारा उन्हें ही गई औरत या ,मर्द होने की पहचान का ही नकारते है। वे लोग जो थर्ड जेंडर है। ट्रांस जेंडर अंग्रेजी के दो शब्दों ट्रांस और जेंडर से मिलाकर बना है। मतलब हुआ जेंडर से परे वे सभी लोग जो समाज द्वारा बनाए गए 'आदमी' के दो साँचो से परे है।

१५ अप्रैल २०१४ को किन्नरों का तीसरा लिंग के रूप में सार्वजनिक पहचान दे दी गई है।सार्वजनिक जगहों पर उन्हें पुरुष या स्त्री में से एक लिंग चुनने का विकल्प दिया जाता था,लेकिन कोर्ट के फैसले १५ अप्रैल २०१४ के बाद उन्हें तीसरे लिंग के रूप में सार्वजनिक पहचान दे दी।कोर्ट ने अपने अंतिम ऐतिहासिक निर्णय में कहाँ की हर सरकारी दस्तावेज में महिला और पुरुष के साथ-साथ एक कॉलम थर्ड जेंडर या किन्नर का भी हो। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश किन्नरों के साथ सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओ और नोकरियों में उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग मिलने वाले आरक्षण का लाभ भी मुहैया कराए।

भारतीय समाज में हिजड़ा की स्थिति से लगभग सभी लोग परिचित है।हिजड़ा शब्द हमारे समाज में एक गाली की तरह प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सामान्य रूप से हिजड़ा शब्द ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो दिखते पुरुष जैसे है लेकिन उनका पहनावा उनके बात करने का तरीका व व्यवहार महिलायों जैसे होता है।अब हिजड़ा शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किए जाने का आग्रह किया जाने लगा जो गुरु शिष्य की परंपरा में रहते हुए बंधाई ,टोली ,मंगनी में जाते है।स्वंतत्र रूप से रहने वाली थर्ड जेंडर के लिए ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग किया जाने लगा इस तरह ट्रांस जेंडर खुद को हिजड़ा पहचान से अलग मानते है।तथा उन्ह पांरपारिक कार्यों के स्थान पर अपनी रुचिकता

पूर्ण कार्य कर रहे है ,लेकिन अभी भी उसके साथ हिजड़ा होने संबंधी पारंपारिक पहचान चिपकी हुई है। इन परिवर्तनों के बाद भी उन्हें न परिवार स्वीकार कर प् रहा है और न ही समाज। यही कारण समाज का यह शिक्षा,रोजगार, सम्मान स्वंतत्रता जैसे मानवीय अधिकारों से वंचित है। भारतीय समाज में अपनी पारंपारिक पहचान से संघर्ष करती हुई ट्रांस जेंडर की सामाजिक स्थिति है।आधुनिक पितृसत्तात्मक समाज में थर्डजेंडर व्यक्ति अदृश्य ही रहा है। पहले समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया बाद में औपनिवेशिक कल के आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत हिजड़ा समुदाय का अपराधी माना गया।तब से जेंडर आज तक कानून व समाज की मार थर्ड जेंडर समूह पर देखी जा सकती है। यह बहस धारा ३७७ को लेकर है ऐसे सभी यौनिक व्यवहारो को आपराधिक करार देने के लिए बनाया गया था जो प्रजनन प्रक्रिया से जुड़े नही है।

३७७ धारा का रूप :-

भारतीय दंड संहिता धारा(अप्राकृतिक अपराध) "जो कोई स्वेच्छा से किसी पुरुष ,मिहिला या पशु के साथ प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कामुक संभोग करता है, उसे आजीवन कारावास या फिर १० वर्षी तक बढाई जा सकती है और जुरमाना भी हो सकता है।"इस कारण समाज में उनको देय या तुच्छ दृष्टी से देखा जाता है । इन्हें समाज में अपूर्ण पुरुष या अपूर्ण स्त्री होने रूप में देखा जाता है।यही कारण है की ये लोगों के मौज या हँसी के पात्र भी बनते है। वे लोग ज्यादातर हमे रेलवे स्टेशन में देखने को मिल जाते है।

समाज थर्ड जेंडर को तिरस्कार और हेय दृष्टिकोण देखते है। समाज का नजरिया बदलाना महत्वपूर्ण है।उनकी दृष्टी में परिवर्तन लाना यह भी एक महत्वपूर्ण बात है।उनको जो भावनात्मक दु:ख होता है।इनका कोई विचार भी नही करता न उनको परिवार साथ देता है।न उनका समाज साथ देता है। उनके कोई मित्र नही होते है।उनकी इतनी नर्वस जिंदगी होती है।इस जिंदगी वजह खुद को आत्महत्या के हवाले कर देते है।यही बात समझकर परिवार ,मित्र , समाज को संवेदनाशील बनाने के लिए।उनकी बाते समझने के लिए भी एक समाज में सम्मान पूर्ण स्थान होना जरूरी होता है।उनकी शिक्षा ,रोजगार ,स्वास्थ्य ,आजीविका सम्मान पूर्ण

स्वंतत्रता को समझने के लिए सरकारी दस्ताऐवज और सरकारी नोकरियों में उनको आरक्षण देना जरूरी है वह अपना जीवनयापन खुद कर सके।

विषय क्षेत्र चुनने के बाद पहली समस्या यह थी की अध्ययन में किन लोगों को शामिल किया जाए ।गुरु- शिष्य की पंरपरा में जीवनयापन करने वाली हिजड़ा या स्वंतत्र रूप से जीवनयापन करने वाली ट्रांस जेंडर ,क्योंकि विषय नए परिवर्तनों से संबधित या इसलिए तरस जेंडर का विषय चुनाव किया गया।विषय का निर्धारण **"थर्ड जेंडर की सामाजिक स्थिति" (विशेष संदर्भ: वर्धा शहर का इतवारा क्षेत्र)** के रूप में किया गया।

प्रथम अध्याय में थर्ड जेंडर एक परिचय शब्द की समझ और परिभाषा को परिभाषित किया गया है। विभिन्न कालो में समलैगिंक संबंधो को समाज में अलग–अलग रूप में देखा गया है ,इसका वर्णन किया गया है ।गुरु–शिष्य परंपरा का वर्णन किया गया ।हिजड़ा रीत और हिजड़ा पहचान इसका वर्णन प्रथम अध्याय में प्रस्तुत किया है। विभिन्न यौनिक झुकाव और सामाजिक संबंध का भी वर्णन किया गया है।

दुसरे अध्याय में अध्ययन क्षेत्र का परिचय दिया गया है ।अध्ययन पर आधारित है ।२० लोगो का साक्षात्कार लिए गए ।वर्धा कार्य क्षेत्र का परिचय (इतवारा) दिया गया है।

तृतीय अध्याय-- गैर सरकारी संगठन गेट (ग्लोबल एक्शन फॉंर ट्रांस इक्वलिटी) का वर्णन किया गया है ,उसमे गेट क्या है ,गेट का मिशन क्या है ,संरचना के बारे में वर्णन किया गया है ।अल –फातिहा फांउडेशन अंतराष्ट्रीय संगठन है जो मुस्लिम समुदाय के लेस्बियन ,गे ,बाइसेक्सुल ,ट्रांस जेंडर के प्रति समर्पित है ।उद्देश्य ,उसकी स्थापना और यह गर सरकारी संगठना थर्ड जेंडर समुदाय को समाज में भागीदारी प्रदान करने के लिए क्या कार्य कर रही है इसके बारे में जानकारी दी गई है ।गैर सरकारी संगठन कौन सी सुविधाएं प्रदान कर रही है। (१)स्वास्थ्य (२)शिक्षा (३)रोजगार 4)परामर्श देना भी जरूरी होता है ,इसकी जानकारी तृतीय अध्याय में दी गई है ।नाज इंडिया ट्रस्ट, गैर सरकारी सन्गठन के बारे में जानकारी दी गई है ।इसके मुख्य कार्यक्रम कौन-कौन से होते है ? हमसफर ट्रस्ट आधारित संगठना है ।गैर सरकारी संगठना और अन्य संगठना इसके बारे में जानकारी दी गई है ।सार्थक संकल्प समिति (नागपुर) जो वर्धा के

शाखा से जुडी हुई है बारे में जानकारी औरउनके उद्देशयों का वर्णन किया गया है। समलौगिंकता अपराधिक होने के कारण समलैंगिकता स्त्री पुरूष छुप छुप कर संबंध बनाते है एच० आई० वी०एड्स के रोकथाम पर कार्य करने वाले संगठनों ने देखा कि एलजीबीटी समूह इसी कारण अधिक भेद समूह है, अत: इनके स्वास्थ तथा यौनिक अधिकारों का मुद्दा वैश्विक पटल पर उभरने लगा है।

चौथा अध्याय में "थर्ड जेंडर की सामाजिक स्थिति" थर्ड जेंडर का समाज में क्या स्थान है, वर्तमान समय में समलैगिकता को लेकर बहस तेज हो गई है। यही कारण है की इसके विरोधी तथा समर्थक भी इतिहास के पन्ने उलट –पलटकर समलैगिको की खोज कर रहे है।अब समलैगिकता अपने प्राकृतिक-अप्राकृतिक होने संबंधी बहसों से ऊपर उठ गया है ।हिजड़ा समाज की सुरक्षा के बारे जानकारी दी गई है।किन्नर स्वतंत्र पहचान को मिला वैधानिक आधार के बारे जानकारी दी गई है। हिजड़ा समुदाय के क्या नियम होते इसके बारे जानकारी दी गई है।साक्षात्कार अनुसूची का विश्लेषण भी किया गया है।हम देखते है की प्रत्येक मनुष्य की विभिन्न पहचान होती है, यह उसके जाती,लिंग,जेंडर नागरिकता आदि के आधार पर निर्धारित होती है।मनुष्य का एक प्रमुख पहचान जेंडर के आधार पर भी होता है ,जैविक सेक्स के आधार का निर्धारण कर दिया जाता है।इस संबंध में यह विचारणीय बात है की आज तक स्त्री-पुरुष के रूप में अस्मिता निर्धारण की बात की गई है में थर्ड जेंडर व्यक्ति की अस्मिता निर्धारण किस प्रकार से होती है? आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है तथा ग्राफ के माध्यम से शोध को परिपूर्ण बनाने का भरपूर प्रयास किया गया है।

शोध प्रश्न –

१. वर्तमान विमर्श से प्रकट हुई पहचान अर्थात ट्रांस जेंडर /ट्रांस सेक्सुयल और सांस्कृतिक रूप से आबद्ध पहचान अर्थात हिजड़ा होने के बिच के संक्रमण और अंतर्द्वंद क्या है?

२. हिजड़ा समुदाय को अपने अधिकारों के बारे में कितनी जानकारी है ?

३. समाज में सेक्स के अनुसार जेंडर का विभेद है और हम इसी के आधार पर व्यवहार करते है , थर्ड जेंडर व्यक्ति के स्कुल ,कॉलेज ,काम के क्षेत्र में आ जाए तो अर्थात सामाजिक व्यवस्था में आने पर उनके मन में तथा पुरे समाज में किस तरह का संघर्ष उत्पन्न होता है ?

४. इनके असंमजस्य का कारण क्या है ?क्या इसका आधुनिक पितृसतात्मक समाज का बना –बनाया सिमित खांचा है जो सिर्फ स्त्री–पुरुष को ही शामिल करता है ।

५. आखिर ओ भी इंसान है ,तो हमारा समाज अपने समाज में क्यों शामिल करना नही चाहता ?

उपकल्पना:-

1. वर्तमान समय में थर्ड जेंडर की स्थिति में बदलाव आया है,वे अपनी अस्मिता और अधिकारोंको लेकर गंभीर हुए है।
2. थर्ड जेंडर को लेकर समाज का नजरियां उपेक्षित रहा है।
3. ३.इस उपेक्षिता के पीछे सामाजिक मानसिकता आया रहेगी ।इसके कारणों को जानना।
4. थर्ड जेंडर समुदाय को लैंगिक और संवैधानिक संबंधी कितनी जानकारी है ,इसके बारे में जानना।
5. सांस्कृतिक रूप में आबद्ध पहचान अर्थात हिजड़ा बीच के अंतरद्वारा समझने के कारण जानना ।
6. किन्नर समाज को सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा समुदाय क्यों है ।इनके कारणों को जानना ।

शोध प्रविधि:-

प्रस्तुत शोध में गुणात्मक प्रविधि के अंतर्गत आंकड़ा संग्रह हेतु निदर्शन पद्धति (sampling)का सहारा लिया गया था ।इसके अंतर्गत 20 उत्तरदाता का चयन किया गया था। तथा उनकी सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है जहां पर वर्धा जिले के इतवारी क्षेत्र मेरा शोध विषय का अध्ययन क्षेत्र था। थर्ड जेंडर की सामाजिक स्थिति में थर्ड जेंडर का चुनाव किया गया था ।शोध की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए परिणात्मक शोध प्राविधि का सहारा लिया गया। शोध की प्रकृति गुणात्मक होने से प्राथमिक और दिवितीय दोनों स्त्रोतों का सहारा लिया गया है ।साक्षात्कार अनुसूची लेकर प्रतिदर्श का चुनाव करके गुणवत्ता का गहत्तापूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गईहै।जिसमें खुली तथा बंद दोनों प्रकार के प्रश्नों कासमावेश था। प्रतिदर्शन चयन के लिए उद्देश्य पूर्ण निदर्शन प्रविधि का सहारा लिया गया।

उद्देश्य *

1. थर्ड जेंडर की समाज में सामाजिक वर्तमान स्थिति कैसी है उसका पता लगाना।
2. १५ अप्रेल २०१४ के फैसले के बाद थर्ड जेंडर अपने अधिकारों को लेकर कितना जागरूक है।
3. नई पहचान सामाजिक जीवन को किस तरह प्रभावित कर रही है।
4. अपनी अस्मिता के लंबे संघर्ष के बाद क्या उन्हें समाप्त में समान दर्जा मिल पाएगा।
5. अपनी अस्मिता को छुपाने का दंश क्या अब समाप्त होगा।
6. IDEA का विज्ञापन समाप्त में एक संदेश दे रहा है की ,थर्ड जेंडर के प्रति संवेदनशील बने।
7. OBC की तरह आरक्षण का लाभ उठा पाएगा यह तबका।

शोध क्षेत्र -विषय का निर्धारण "थर्ड जेंडर की सामाजिक स्थिति" (विशेष संदर्भ: वर्धा शहर के इतवारा क्षेत्र) को चयनित किया गया। वर्धा जिले के बारे में अधिक जानकारी हमे इसके

इतिहास को देखने पर पता चलता है की वर्धा शहर के इतवरा इलाके में थर्ड जेंडर की सामाजिक स्थिति बद से बदतर है।

वर्धा जिला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस जिले में स्थित शहर का नाम भी वर्धा है। वर्धा जिले को दो महान व्यक्तियों की वजह से ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ है। वर्धा जिले की मूर्ति छोटी लेकिन कीर्ति महान के नाम से लोग जानने लगे है। क्योंकि महाराष्ट्र के बाकी जिलों में से वर्धा जिला छोटा जरूर है। लेकीन उसकी कीर्ति बहुत महान है। वर्धा जिला ई.स.1962 तक नागपुर जिले में हि था उस समय नागपुर जिले का जो क्षेत्रफल था वो बहुत बड़ा था।

वर्धा जंक्शन

प्रशासन की दृष्टि से वो उसके लिए असुविधाजनक था। इसके कारण वर्धा जिले का निर्माण हुआ। तब वर्धा जिले का मुख्यालय पुलगाँव के पास कवठा गाँव था। ई.स.1966 में मुख्यालय कवठा से पालकवाडी गाँव में ले जया गया। तब का पालकवाड़ी यानी आज का वर्धा जिला है। महाराष्ट्र के वर्धा-वैनगंगा खाड़ी के पश्चिम भाग में वर्धा जिला स्थित है। पवनार उत्खनन से प्राप्त हुए जानकारी के अनुसार ई.स. सन पूर्व 1000 से ई.स. पूर्व 800 तक मानवी वसाहत होगी। जिले के उत्तर पश्चिम व दक्षिण सीमा के उपर से वर्धा नदी बहती है। पूर्व की तरफ

वेणा नदी ,वर्धा नदी को आकार मिलने की वजह से पूरा वर्धा जिला नदी के खाड़ी में बसा है ऐसा कहा जा सकता है।

वर्धा नदी द्वारा उत्तर पश्चिम व दक्षिण सीमा निश्चित करने की वजह से नदी के नाम से ब्रिटिशों ने जिले को वर्धा यह नाम दिया होगा ऐसा अंदाज लगाया जाता है। लेकीन वर्धा नाम के विषय पर अलग अलग अंदाज लगाए जाते है । वो ऐसे की, वर्धा नदी का उद्गगम वरहा के मुख से हुआ है । और वराह भगवान विष्णु का अवतार है इसलिए नदी का मूल नाम वराह होने के बाद में वर्धा नाम हुआ होगा। वर्धा नदी के खाड़ी में पहले बरगद के बहुत पेड़ थे उसकी वजह जनरल कनिंगम ने वर्धा का नाम बरगद पेड़ से रखा है ऐसा भी कहा जाता है।

वर्धा जिले का ऐतिहासिक महात्म्य ऐसा है कि ,1934 में महात्मा गांधी वर्धा आये थे। स्व. जमनलालजी बजाज इनके प्रयत्नों से उन्होंने शेगाँव को हि अपनी कर्मभूमि चुनी। उसके बाद से वर्धा जिला भारत में हि नहीं पूरे विश्व को मालूम हुआ। भारतीय इतिहास में वर्धा जिला अमर हुआ । गांधी जी के आदेश से आचार्य विनोबा भावे पवनार आये और उन्होंने वर्धा-नागपुर मार्गपर धाम नदी के किनारे आश्रम बनाया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा।

ऐसा उठाव 1942 वर्ष आर्वी तहसील के आष्टी व परिसर के गाँव के लोगों ने किया था । इस लड़ाई में दस स्वतंत्रता सेनानी शहिद हो गये थे और सात लोगों को फाँसी की सजा हुई थी। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज की प्रेरणा से आष्टी का स्वातंत्रसंग्राम आज की युवा पीढ़ी के लिये आदर्श साबीत हुआ है। इस संग्राम के स्मृति की याद में हर नागपंचमी के दिन आष्टी में हुतात्मा दिन मनाया जाता है।

वर्धा की खास विशेषता है । खादी और कुटीर उद्योग । इसके विकास के लिए यहाँ गांधीवादी संस्थान ने प्रयोग और संशोधन किए अखिल भारतीय चरखा संघ और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग मंड़ल गांधी जो प्रणीत संस्थान खादी और कुटीर उद्योग के विकास के लिए नये-नये प्रयोग करके सुधारित हत्यारे और कार्यपद्धति रूढ की गई । कम श्रम में अधिक जलदगती से सुतकताई और कपड़ा बिनने यंत्र और चरखे विकसित करके भारत के सरंजाम

कार्यालय को उसका आदिरूप समय-समय पर दिया। प्रसिद्ध अंबर चरखा यहाँ के संशोधन की परिणति है।

सुधारित खादी की अधिक मांग के कारण कपडा निर्मिति होने लगी। वर्धा में 'मगन चूल्हा' भारत में प्रसिद्ध है। अहिंसक पद्धतीसे मधुमक्खी पालन, हात की बनावट का कागद, अखाद्य तेल से बनाई हुई साबुन, सुधारित चर्मकाला और विविध यंत्र वर्धा-सेवाग्राम को विकसित किये गये सुधारित तेलघानी का आदिरूप वर्धा में हि विकसित किया गया। उसको 'नूतन तेलघानी' ऐसा कहते है।

साहित्य पुनरावलोकन :- साहित्य पुनरवलोकन की वजह से शोध कार्य संबंधी कितनी किताबे पढ़ी।किताबो उन में से आपने क्या –क्या लिया यह दिखाना।

1. जया शर्मा ,सितंबर २०११ ,खुलती परते यौनिकता और हम २,किताब ट्रस्ट,ई -मेल -nirantra @gmail .com webside –www.nirantra.net
   यौनिकता और हम की यह दूसरी किताब खुलती परते यौनिकता के उन रूपों पर ध्यान आकर्षित करती है जो मुख्यधारा समाज के हाशिए पर है ।अंतरजातीय /अंतरधार्मिक रिश्ते ,समलैगिकता ,शादी से बाहर रिश्ते ट्रांसजेंडर लोग ,सेक्स वर्कर के बारे जानकारी दी गई है ।इन मुद्दों के अलावा दूसरी किताब ठोस रूप से यह सवाल भी उठाती है की यौनिकता का हमारे समुदाय स्तरीय काम से क्या जुडाव है ? यह सब बाते इस किताब में लिखी गई है।
2. नीलाभ मिश्र ,३१ जनवरी २०१५ आउटलुक पब्लिसिग (इंडिया)प्रा.लि.दिल्ली इस आउटलुक पत्र में छतीसगढ़ की मधु किन्नर काराजकारण में होनेवाला विजय पर लिखा गया है। थर्ड जेंडर का भी एक समाज में स्थान हाना जरूरी है। की दिनचर्या का भी वर्णन किया है ।छतीसगढ़ राज्य के बड़े समारोह में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किस प्रकार से किया यह भी इस पत्र में लिखा है ।२०१३ में ट्रांस जेंडर समुदाय की लैंगिक पहचान के लिए आर्टिकल-३९ के तहत राष्ट्रीय न्याय सेवा प्राधिकरण नामक संस्था ने "क्रिएट जेंडर स्पेस" नाम से जनहित याचिका दायर की थी।

3. रित और हिजड़ा पहचान लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ,१० NOV२०१२,मी हिजड़ा मी लक्ष्मी ,प्रकाशन मनोविकास मी हिजड़ा मी लक्ष्मी इस किताब में गुरु-शिष्य परंपरा के बारे में जानकारी दी गई है।हिजड़ा के प्रकार,हिजड़ा पहचान और रित बारे में जानकारी दी गई है ।थर्ड जेंडर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इन्होंने अपने जीवन की खानी यहाँ पर वर्णित की गई है।
4. मोहन नैमिशराय ,२००४ आज बाजार बंद है,वाणी प्रकाशन आर टेक ऑफ सेट प्रिंटर्स दिलशाद गार्डन दिल्ली ९५वेश्याओं पर होने वाले अत्याचार,संघर्ष तथा उनकी समस्याओं के बारे में लिखा गया है ।इनपर होने वाले पीड़ा झेलने की क्षमता का वर्णन किया गया है ।उसी प्रकार एक पुरुष दुसरे पुरुष के साथ संभोग है । थर्ड जेंडर को होनेवाली यातनाओं का भी वर्णन किया गया है ।
5. डॉ .(श्रीमती) विनोद वर्मा,अनुवाद फिरोज आलम,२००० नारी कामसूत्र ,प्रकाशन राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड जी -१७ जगतपुरी दिल्ली -११००५१ इस पुस्तक में विशेष रूप से केवल यौन-संबंधी अनुभवों का वर्णन नही किया गया है।बल्कि आध्यात्मिक अनुभवों की चर्चा की गई है।

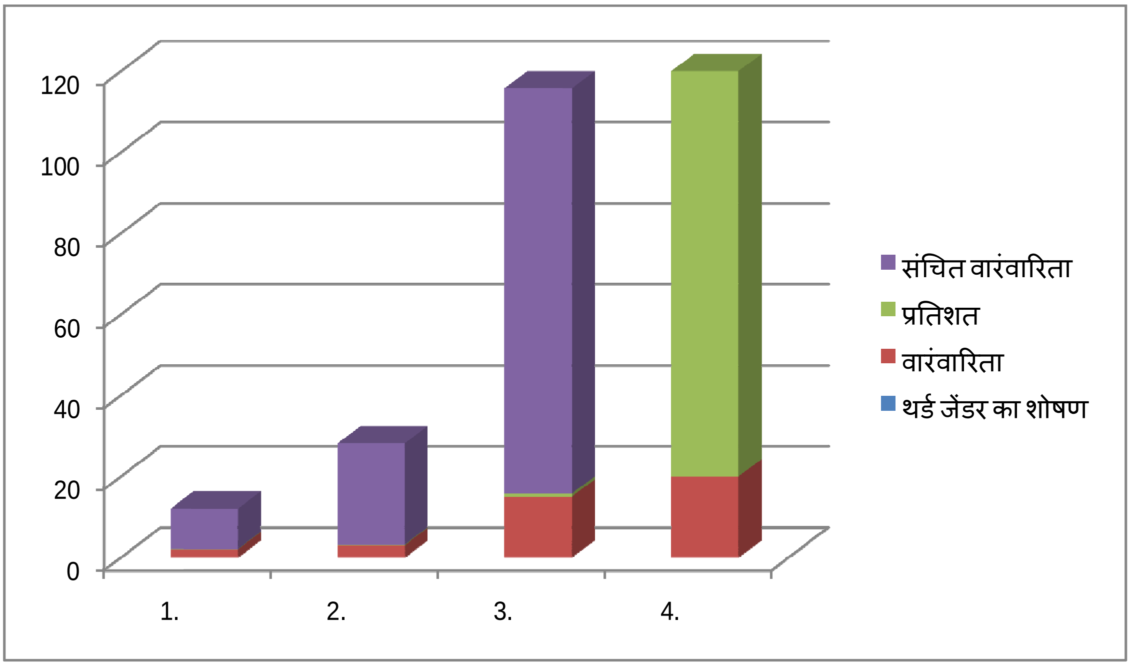

उपर्युक्त ग्राफ में यह दिखाई पड़ता है कि सबसे ज्यादा आर्थिक शोषण 75 प्रतिशत मिला है। मानसिक 15 प्रतिशत और शारीरिक को 10 प्रतिशत मिला है।

विश्लेषण -

“थर्ड जेंडर की सामाजिक स्थिति ” विषय के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र वर्धा जिला चयन किया गया है। 20 लोंगो से अनुसूची भरकर उनके साथ साक्षात्कार भी लिया गया। इससे यह जानकारी प्राप्त हुई कि, उनका शिक्षा का स्तर कहाँ तक है, शिक्षा के प्रति वह कितनी जागरूक है इसके बारें में जानकारी प्राप्त करी। आजीविका के क्या साधन है? इसमें में यह पता चलाता है ज्यादा से ज्यादा शादी-मंगनी में पैसा माँगते है और अपना गुजारा करते है। सब्जी मंडी में पैसे माँगना, घरकाम करना, मजदुरी करना यह काम करके अपना गुजारा करते है। समाज किन्नरों की और हेय दृष्टि से देखता है। समाज का व्यवहार इनके साथ कैसा है। मित्रों का व्यवहार ज्यादा तौर पर निराशाजनक दिखाई दिया। क्योंकि आखिरओं भी तो इन्सान है। अपने परिवार, समाज मित्रों ने उनको समझना चाहिए। उनकों भी भावना, मन होता है। केवल शरी के कारण अलग है तो हम उनको परिवार, समाज और मित्रों से दूर नहीं कर सकते। उन्हें भी जिने का अधिकार है। पुलिस प्रशासन का व्यवहार नकारात्मक क ज्यादा है। कई बार मामलों में भी पुलिस एा.आइ.आर. तक

दर्ज नहीं करती। यहां तक कि एफ.आई.आर. दर्ज करने जाने पर पुलिस स्टेआशन से हमें भगया दिया जाता है। खासकर रेलवे स्टेशन में तो मारा पीटा जाता है। थर्ड जेंडर का कहना है कि धार्मिक व व्यवहारिक दोनों दृष्टि से देखे तो जहां धार्मिक दृष्टी से थर्ड जेंडर को पवित्र और ऊँचा स्थान दिया गया है। लेकिन व्यवहार में थर्ड जेंडर को अत्यंत ही हेय दृष्टी से देखा जाता है। थर्ड जेंडर आज न्युनतम मानवाधिकारों से वंचित है। थर्ड जेंडर सचमुच उत्पीडित है1 थर्ड जेंडर का कहना है कि बच्चों की, पशुविकास-पैधों के सरंक्षण कि व्यवस्था राज्य में कि गई है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य हमारे लिए कुछ भी नहीं किया गया। 2014 में हमें सर्वाच्च न्यायालय के माध्यम से पहचान मिली। हमारे स्थिति में सकारात्मक बदल आ रहा है। इसका कारण शिक्षा का प्रचार-प्रसार ही महत्वपूर्ण है। ज्यों देखने की दृष्टी है वह सकारात्मक होनी चाहिए। त्योहारों के बारें में जानकारी दी गयी है। समाज से हमारे त्योहार कोई अलग नहीं है। हिजड़ों के त्योहारों 'बहुचारा माता' को मानते है। अंतिम संस्कार का भी इनका विधि सामाजिक परंपरा के मुताबिक अलग है। होली, दिवाली और ईद यह त्योहार मनाते हैं। हमारे त्योहारों में भिन्नता है फिर भी हम सब त्योहारों में शामिल होते है।

किन्नरों को संगठित करने के लिए एक संस्था होती है। इन संस्थाओं में किन्नरों हितों के बारे जानकारी दी जाती है। यह संस्थाएं संगठीत होकर कार्य करती हैं। थर्ड जेंडर कि तरफ केन्द्र और राज्य सरकार को ध्यान देना उतनाही जरूरी है। थर्ड जेंडर के लिए सरकारने टेलरिंग, ब्यूटीशियन, बागवानी आदि के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए। थर्ड जेंडर का कहना है कि, समाज ने प्रथम हमको अपनाना चाहिए। समाज ने हमको अपनाया, तो हमारी भी समस्या कम हो जायेगी।

सरकार जो नये कानुन बनाये है उनके बारें में जानकारी भी देना उनता ही जरूरी होता है। Social Network द्वारा सरकार के कानुन के बारे में जानकारी देनी चाहिए। सार्थक संकल्प समिति (नागपुर) इस संस्थाओं के बारे में जानकारी दी गयी है। जो वर्धा शाखा से जुड़ी है। किन्नरो को इस समिति द्वारा उनको मदद और सहायता प्रदान की जाती है।

.ज़्यादातर हिजड़े समाज में हाशियें पर जिंदगी व्यतीत कर रहे है जिनकी आर्थिक स्थिति भी निम्न है। समाज में इनका अस्वीकार्यता इनकी प्रतिभा को उभरने नहीं देती इससे इनके रोजगार

के सामान्य अवसर भी छीन जाते है। इन्हें सरकारी या निजी कार्यो में रखना तो दूर की बात है, इन्हें सामान्य छोटे-मोटे कामों पर भी नहीं रखा जाता है। इनकी अशिक्षा भी इनके रोजगार के अवसरों पर विपरीत प्रभाव डालती है। कुछ लोग यह मानते है की इन लोगों के पास बहुत धन इकट्ठा होता है, यह बात गलत है, मेरे शोध कार्य के अनुसार साक्षात्कार अनुसूची के अनुसार विश्लेषण किया गया। जिस कारण यह बड़े पैमाने की वैश्यावृत्ती का काम करते है। संपत्ति की जरूरत जीवन की त्वरित आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए होती है ऐसे में इनके बीच कोई भी आजीविका का साधन विभिन्न अवसरों पर नाच-गाना करके, शादी, जन्मोत्सव आदि में बंधाई के द्वारा, लोगों को पैसा लेना, भिक्षावृत्ति तथा यौन कार्य के द्वारा यह समुह अपनी उदर पूर्ति कर रहा है।

इस संसार में ऐसे लोग हमेशा से रहे है जिन्हें स्त्री –पुरुष के खांचे में बाँधा नही जा सकता। ऐसे लोग भी रहे है। जिनका यौन अभिविन्यास समलिंगी, विषमलिंगी तथा दोनों लिगों के प्रति है। ऐसे में स्वीकार करना कि लैगिंक रूप से स्त्री –पुरुष रचना ही सत्य है तथा इसके बहर का अपूर्ण यह मान लेना गलत होगा। इस संबंध में अमेरिकन साइकोलाजिकल असोसिएशन का कहना है कि –

"ट्रांसजेंडर का संदर्भ कई संस्कृतियों और समाजो जैसे -देशज ,पश्चिमी और पूर्वी दस्तावेजो में पुरातन काल से लेकर आजतक मिलने आ रहे है।यद्यपि जेंडर का अर्थ संस्कृति दर भिन्न हो सकता है।" आज विज्ञानं भी यह नही मानता कि स्त्री –पुरुष संबंधी रचना ध्रुववत तथा स्थिर है ,बल्कि इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है।आज भिन्नता की परते खुल रही है जिसे भिन्नता रखने वाले लोगो का पता चला है।अपनी यौन अभिविन्यास के कर्ण समलैगिक इतिहास में बदनाम ही रहे है।कभी इसे सामान्य यौन आभिविन्यास के रूप में स्वीकार ही नही किया गया।ईसाई धर्म के प्रचलन के साथ ही समलैगिक संबंधो को पाप माने जाने लगा । ईसाई परम्पराओं में यह मान्यता है कि सेक्स निहित रूप से पापपूर्ण होता है।इन परम्पराओं के अनुसार सेक्स को तभी पाप मुक्त किया जा सकता है,जब उसे वैवाहिक संबंधो के भीतर प्रजनन के उद्देश्य से किया जाए और यदि उसके आनंददायक आयमों का बहुत ज्यादा मजा न लिया जाए ।आज भी तमाम शोध तथा अध्ययनों के बाद भी समलैगिकता सहज

नही हो पायी है।लेकिन पुराने समय की तुलना में आज इनके बारे में लोग बात करने लगे है ,तथा इस विविधता को समझने लगे है।1960-70 के में नारीवादियो द्वारा इतर लैगिकता के विरोध में समलैगिकता का समर्थन किया जाने लगा ।पुरुष वर्चस्वता को चिन्हांकित करने के क्रम में विषमलिगी यौन संबंधो में पुरुष यौनिकता पर भी सवाल उठाये गए जो पुरुष केयौन सुख को सर्वापरी मानता है।इन संघर्षों के बाद भी LGBT समूह मानव आधिकारो से वंचित है।इसमे भी सबसे ज्यादा प्रभावित या बुरी दशा ट्रांसजेंडर की है।थर्ड जेंडर अपनी अस्मिता निर्धारण के लंबे दौर में असंमजस की स्थिति में रहता है।वह ये निर्धारित नही कर पाता कि वह पुरुष है या स्त्री ,शरीर पुरुष का और भावनात्मक रूप से स्त्री होने के कारण वह खुद को असामान्य या अपराधी मानते लगता है।कई थर्ड जेंडर इस असमंजस की स्थिति को जल्दी स्वीकार कर लेते है तो कईयों द्वारा आधी उम्र बिता दी जाती है।जब वह निर्धारित कर लेता है कि वो कोन है ? तो समाज उसे स्वीकार नही करती ।हालाँकि वैश्विक परिदृश्य में इस तरह के लोगों के संगठित होने से थर्ड जेंडर की स्थिति बदलाव दिखाई दे रही है।

इस प्रकार वर्तमान समय में थर्ड जेंडर कि स्थिति में बदलाव आया है।वे अपनी अस्मिता और अधिकारों को लेकर गंभीर हुए है।साथ ही पारपरिक रूप से जो सांस्कृतिक घेरा बनाया गया है उनके काम को लेकर,जीविकोपार्जन के साधन को लेकर आज इनमे बदलाव आ रहा है।और यह समूह सिखा,स्वरोजगार के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दे रहे ।लेकिन थर्ड जेंडर के प्राचीन कार्यो और आज किये जा रहे कार्यो की तुलना की जाये तो ये कार्य लगभग समान ही है।आज ज्यादातर थर्ड जेंडर-ब्यूटिशियन,मेकअप में,डांसरसामान्यदेखभालकरनेवाली कामकाजी महिलाओ के साथ काम करने के लिए आदि ।उनके स्त्रेण स्वभाव के कारण ही उन्हें घर कामों पर रखा जाता है।ऐसे में क्या पितृसत्ताक समाज उसे उन्ही कार्यो के लिए चुन रही है ।जी उनके द्वारा सदियों से किया जाता रहा है।कही पितृसत्ता उसकी वर्तमान अस्मिता संघर्ष को पहले से निर्धरित खांचे में डालकर नया रूप तो नही दे रही है ?नारीवादियो के कारण ही एल .जी.बी.टी आधिकारो ने व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त की । पहली बार एड्स के संक्रमण के कारण एल,जी,बी,टी अधिकारों को स्वास्थ्य अधिकारों से जोडकर देखा जाने लगा ।कई अंतराष्ट्रीय रिपोटिग प्रणालियों ,जो एड्स संक्रमित लोगों के मुद्दों पर जोर देती है ,के कारण ऐसे मामले सामने आए है जिनसे सरकारों को ,यौनिकता को नियंत्रित करने वाली अपनी नीतियों के

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर होनेवाले दुष्परिणामों को देखने का मौका मिला।गैर-सरकारी संगठनों को एड्स के मुद्दे पर समलैगिकों के साथ काम करते हुए विभिन्न समस्याओ का सामना करना पड़ रहा था,जिसमे ऐसे लोग सामने नही आते थे ,पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओ के साथ मार –पीठ ,इन समूहों में बढ़ती HIV संक्रमण आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में समलैगिकों के स्वास्थ्य तथा यौनिक आधिकारो के लिए आवाज उठने लगी ।अंतराष्ट्रीय मानव आधिकार संगठन द्वारा यौनिक आधिकारो में शामिल कर लिए जाने के बाद इस क्षेत्र में काम वाली गैर-सरकारी संगठनों की तादाद तेजी से बढ़ी ।1994-2004 के बीच बहुत से नये गैर-सरकारी बनाये गए ।कोले लिखते है की "इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में गे पुरुषो,लेस्बियन महिलाओं और एड्स पर काम करनेवाले गैर-सरकारी संगठनों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई।"इस तरह भारत तथा अन्य देशो में समलैगिकता के विरुध्द संघर्ष ने मानव आधिकार का रूप ग्रहण कर लिया ।इस संदर्भ में भारत में चल रही धारा 377 के विरुद्ध LHBT संघर्ष में भारत में जिसका गैर –अपराधीकरण किये जाने के बाद फिर से अपराधीकरण कर दिया गया।

थर्ड जेंडर की सामाजिक स्थिति सुधारने अपने परिवार का महत्वपूर्ण सहभाग होना जरूरी है। अपने माँ-पिताने अपने बच्चो को अच्छी तरह से समझना यह भी महत्वपूर्ण बात है।उसके बाद समाज ने साथ देना जरूरी है। जैसे की पुरुष और स्त्री के बराबर किन्नरों को भी इंसान के तरह दर्जा दिया तो यह प्रश्नकभी नही निर्माण नही हो सकता है। (किन्नरों में जो कला है उन कलाओं)को वाव देना भी जरूरी है। ताकि वह अपनी कलाओ प्रदर्शन कर सके अपनी आर्थिक स्थिति कोसुधारने का कार्य कर सकती है।

परिशिष्ट

साक्षात्कार अनुसूची

1. नाम - ....

2. पता -...

3. शहर/गाँव - ....

4. आयु - ....

5. प्रवर्ग – 1) सामान्य 2) ओ.बी.सी. 3) एस.टी. 4) एस.सी 5) अन्य

6. शिक्षा – 1) प्राथमिक 2) उच्च प्राथमिक 3) माध्यमिक 4) उच्च माध्यमिक

7. श्रेणी – 1) बी.पी.एल. 2) ए.पी.एल. 3) अन्तोदय 4) अन्य

8. आपके आजीविका का साधन क्या है?

1) मजदूरी 2) घरकाम 3) शादी मंगनी में पैसा मांगना4) नौकरी 5) अन्य

9. स्वास्थ्य की जाँच

1) महिने में 1 बार 2) 3 महिने में 3) 6 महिने में 4) एक साल में 5) अन्य

10.मित्रों का व्यवहार

1) अच्छा 2) बहुत अच्छा 3) साधारन 4) निराशाजनक

11. परिवार का व्यवहार

1) अच्छा 2) बहुत अच्छा 3) साधारन 4) निराशाजनक

12. परिवार वालों ने आपको छोड़ा या आपने परिवार को छोड़ने का निर्माण लिया?

1) हाँ 2) नहीं

13. आपको परिवार की कमी महसूस नहीं होती है?

1) हाँ 2) नहीं

14. समाज आपके साथ कैसा बर्ताव करता है?

1) अच्छा 2) बहुत अच्छा 3) साधारन 4) निराशाजनक

15. आपके लिए सरकार द्वारा विशेष कानुन बनाया गया हैं? इसकी आपको जानकारी है?

1) हाँ 2) नहीं

16. 15 अप्रैल, 2014 के कानुन के बारे में जानकारी है?

1) हाँ 2) नहीं

17. पुलिस प्रशासन का आपके साथ कैसा व्यवहार है?

1) अच्छा 2) बहुत अच्छा 3) साधारन 4) निराशाजनक

18. किसी संस्था के बारे में आप जानते है?

19. कौन सी संस्था आपके लिए काम करती है? क्या काम करती है और कैसे मदद करती है?

20. गैर सरकारी संगठन की भूमिका क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते है?

21. आपकी शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठा रहे है, इसके बारे में आप क्या जानकार है?

22. आज समाज में बेरोजगारी, गरीबी विषमता, भ्रष्टाचार, महंगाई, यौन हिंसा गंभीर समस्याओं को आप किस तरह से सामना करती है?

23. आप किसी प्रकार से शोषण तो नहीं हो रहा है?

1) शारीरिक 2) मानसिक 3) आर्थिक

संदर्भ ग्रंथ सूची

- अजीमुर्रहमान .ज. अ. (2009) .मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास वाराणसी मोतीलाल बनारसीदास आर. के.प्रभु.य. जा. (2011). महात्मा गांधी के विचार. इंडिया नेशनल बुक ट्रस्ट
- एलिस ह. (2006) यौन मनोविज्ञान (म.गुप्त Trans) दिल्ली राजपाल.
- कुमार' अ.(2013दिंसबर 26)समलैंगिकता फिरसे अपराध शुक्रवारपु.16.19.
- एलिस ,ह (2006).यौन मनोविज्ञान .(म .गुप्त ,ट्रांस) दिल्ली :राजपाल
- टी वि ,र .स.(director).(2013).किन्नरलोक का सच {motion picture }
- त्रिपाठी ,ल .न .(2013) .मी हिजड़ा मी लक्ष्मी .मनोविज्ञान प्रकाशन .
- दुनिया ,न (2013,दिसंबर १२) समलैंगिकता एक बीमारी :बाबा रामदेव .नेशनल दुनिया ,पृ .५
- बेरर ,म .(मई २००६).यौनिकता एवं अधिकार और सामाजिक न्याय .हेल्थ मैटर्स ,१५
- राय ,र.च .(२०१०).गैर सरकारी संगठन .नई दिल्ली :राजकमल प्रा .लि .
- शर्मा, जया सितंबर २०११ , खुलती परते यौनिकता और हम ,प्रकाशन निरतंर ट्रस्ट ,
- Websit.www.nirantar. com
- डा.जैन,पुखराज,भारतीयशासनऔरराजनीति,साहित्भवन,पब्लिकेशन्स,आगरा,2006,पृष्ठ सं,31,303,313
- भारती कॅवल,माझी जनता दलित पत्रकारिता और विमर्श, स्वराज प्रकाशन (नई दिल्ली) 2011, पृष्ठ सं. 113,160
- सिंह पुन्नी प्रसाद,शर्मा राजेंद्र,भारतीय दलित साहित्य परिप्रेक्ष्य,वाणी प्रकाशन,नई दिल्ली,2003, पृष्ठ सं. 193,281

- डॉ. कौर अंरतुमन दीप (कामकाजी नारी उपलब्धि और संता पके दायरों में) प्रकाशक दीपक पब्लिशर्ज,जालंधर,2006 पृष्ठ सं,16,17,44
- नारायण, (दलित वैचारिकीकी दिशाए),राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लि०नई दिल्ली,2008,पृष्ठ सं,71,72,76,78,79,
- आर्य जिया लाल,दलित कहॉ जाए, प्रकाशन संस्थान,नई दिल्ली,2011,पृष्ठ सं,52,57
- दुबे अभय कुमार,आधुनिकता के आइने में दलित, वाणी प्रकाशन (नई दिल्ली) 2005, पृष्ठ सं,77, 87
- प्रगतिशील वसुधा मार्च 2009 पृष्ठ सं,70,72,92,115
- बयान दिसम्बर 2011 पृ.सं. 25,
- बहुजन बोध जनवरी 2012 पृष्ठ सं,14,15
- अपेक्षा जनवरी - मार्च 2011, पृष्ठ सं, 66,67
- उपनिवेश में स्त्री - प्रभा खेतान,प्रकाशन नई दिल्ली,जर्मन ग्रीयर, प्रकाशन